



कार्यालय आदेश

एतद्वारा माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक: 08 मार्च, 2025 के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना (छात्रों की शिकायत का निवारण) दिनांक: 11 अप्रैल, 2023 के 'बिन्दु संख्या 06' में विहित प्राविधानों के आलोक में प्रो० चन्द्रशेखर, विधि संकाय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर/पूर्व कुलपति, राजा महेन्द्र सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ को लोकपाल (Ombudsman) नियुक्त किया जाता है।

लोकपाल का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (इनमें जो भी पहले हो) होगा। लोकपाल द्वारा उक्त विनियम में विहित व्यवस्थानुसार छात्र शिकायत निवारण समिति (एस0जी0आर0सी0) के निर्णयों के विरुद्ध की गयी अपीलों को सुनकर उन पर निर्णय लिए जाने की कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायत का निवारण) विनियम 2023 की छायाप्रति।

भवदीय

(एस0एल0पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. माननीय कुलपति जी।
02. प्रो० चन्द्रशेखर, विधि संकाय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर/पूर्व कुलपति, राजा महेन्द्र सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
03. वित्त अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
04. निदेशक शैक्षणिक, विश्वविद्यालय परिसर।
05. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
06. जन सम्पर्क अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
07. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
08. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव